

20-8-24 वादीगण द्वारा पत्रावली तलब करने व दावा विद्वौ करने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। वादी सं. 1 से 3 स्वयं उपस्थित, जिनकी पहचान प्रहलादराम शं. सूजाराम जाति जाट नि. खाखड़की जिला- नागौर एवं वकील श्री विमल किशोर तिवारी ने की। वादीगण ने पहचान स्वयं आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित प्रतियां पेश की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त प्रकरण को वादीगण चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी-गण के बीच में राप्तीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रकरण को विद्वौ करना चाहते हैं।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं उपस्थित

अ. नि. कसला देवी
 आधार नं. 802638408869

अ. नि. बाबूलाल
 आधार नं. 64042745254

अ. नि. राधे-श्याम
 आधार नं. 620271332804

प्रहलादराम
 (प्रहलादराम शं. सूजा-राम जाति जाट नि. खाखड़की)


20/8/24
 (विमल किशोर तिवारी एलओओ)



मु.नं. २६/२०२५ कमलौदेवी/बुजमोहन

वादीगण को सुना। तदनुसार वादीगण द्वारा
पस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी
गण का वाद जारी ये विडोल खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

